न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 211/2013

वादीगण :-

1. बगदाई पत्नी इन्द्रा
2. सागर पुत्री इन्द्रा
3. कुशाल पुत्र इन्द्रा
4. सादुल पुत्र इन्द्रा
5. बबलू पुत्र इन्द्रा

वादी संख्या दो से पांच नाबालिक जरिये कुदरती वलिया इसकी माता बगदाई पत्नि इन्द्रा जाति बावरी निवासी-आ0कालू, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. इन्द्रा पुत्र हरजी जाति-बावरी निवासी-आ0कालू,तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान)
2. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण
3. पटवारी पटवार हल्का आ0कालू-प्रथम तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 30/07/2013

उपस्थितः. 1 श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्तागण, वादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः 26/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू-प्रथम में वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 48 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2066 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2067/5 रकबा 14 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-3 कुल रकबा 87 बीघा 11 बिस्वा की आई हुई हैं। उक्त भूमि वादी संख्या एक के ससूर व वादी संख्या दो से पांच के दादा एवं प्रतिवादी संख्या एक के पिता हरजी के नाम की थी। हरजी फोत के बाद जरिये फोतेदगी म्यूटेशन हरजी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में कल्याण व प्रतिवादी संख्या एक का नाम दर्ज हुआ। यानि पीढी दर पीढी उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक काबिज है एवं काश्त करते आ रहे हैं। उक्त सम्पूर्ण आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक इन्द्रा व कल्याण का यानि हरजी के वारिसान का 1/7 हिस्सा आता है इसी हिस्से माफिक वादीगण अपने हिस्से माफिक काबिज हैं। एवं काश्त करते आ रहे हैं। वादी संख्या एक के पति इन्द्रा को विरासत में उक्त भूमि मिली उसी तरह वादीगण का भी अधिकार माफिक विरासत के बनता हैं। वादीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि प्रतिवादी संख्या एक को बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। क्योकि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक पीढीदर पीढी काश्त करते आ रहे हैं। इसी प्रकार वादी संख्या दो से पांच का जन्म से उक्त भूमि पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपने हिस्से माफिक अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दिनांक 05/07/2013 को वादीगण को एलानिया कहा कि मैं जमीन का बैचान रहन वसीयत कर दूंगा। नही तो मुझे शराब पीने के रुपये देवें। वादीगण गरीब अनुसूचित जाति के काश्तकार हैं। एवं वादी संख्या दो से पांच नाबालिक हैं जिनका भी भरण पोषण वादी संख्या एक काफी वर्षो से करती आ रही हैं। वादी संख्या एक प्रतिवादी संख्या एक की विवाहित पत्नी है वादी संख्या दो से चार प्रतिवादी संख्या एक के पुत्र व पुत्रीया है जिनका उक्त भूमि पर अपने जन्म से अधिकार बनता हैं उक्त भूमि के अलावा वादीगण के पास जीवन निर्वाह के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है। यदि प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि का शराब के नशे में लोगो के सिखावें व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बहकावें में आकर किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, रहन,वसीयत आदि कर देगा तो वादीगण संख्या दो से पांच नाबालिक बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। क्योकि वादी संख्या दो से पांच का पिता प्रतिवादी संख्या एक शराबी है जो अपने बाल बच्चों का व अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं करता हैं। हर समय शराब पीकर मारपीट करता हैं। और कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करता हैं वादीगण के आमदनी का कोई अन्य जरिया नहीं है केवल मात्र आजीविका के लिए उक्त भूमि ही हैं। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा पैतृक पु श्तैनी उक्त कृषि भूमि का दिनांक 5.7.13 को बेचान,रहन,वसीयत, आदि करने की ऐलानिया वादीगण को धमकी दी। यदि प्रतिवादी संख्या एक उक्त आराजी का बेचान,रहन,वसीयत आदि किसी अजनबी व्यक्ति के नाम कर देगा तो वादीगण जो छोटे छोटे बच्चे है जो भूखे मर जायेगें। तथा अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगें। वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादी संख्या एक किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगा। इसलिए उक्त आराजी का बैचान,रहन,वसीयत बक्शीश आदि करने व प्रतिवादी संख्या दो को ऐसा दस्तावेज का पंजीयन करने से स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरुरी हैं। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 5.7.13 को जब प्रतिवादी संख्या एक द्वारा उक्त आराजी का बैचान,रहन,वसीयत आदि करने व उक्त सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम आ0 कालू में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ0कालू में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सं. 02 व 03 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं। चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी कृषि भूमि हैं एवं खातेदार काश्तकार हैं और शराबी होने से उक्त कृषि भूमि को कभी भी रहन बेचान एवं हस्तान्तरण कर सकता हैं। इससे वादीगण उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने से अपने हक हकूकों से हमेशा के लिए महरुम हो जायेगें। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के नोशनल शेयर के हिस्से की कृषि भूमि में कब्जा काश्त करने, रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–आ0कालू–प्रथम में वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 48 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2066 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2067/5 रकबा 14 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता–3 कुल रकबा 87 बीघा 11 बिस्वा में वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में कब्जा काश्त करने, रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के प्रति0 को रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ0कालू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

ईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :-

1. बगदाई पत्नी इन्द्रा
2. सागर पुत्री इन्द्रा
3. कुशाल पुत्र इन्द्रा
4. सादुल पुत्र इन्द्रा
5. बबलू पुत्र इन्द्रा

वादी संख्या दो से पांच नाबालिक जरिये कुदरती वलिया इसकी माता बगदाई पत्नि इन्द्रा जाति बावरी निवासी-आ0कालू, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. इन्द्रा पुत्र हरजी जाति-बावरी निवासी-आ0कालू,तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान)
2. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण
3. पटवारी पटवार हल्का आ0कालू-प्रथम तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:211/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्तागण, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-आ0कालू-प्रथम में वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 48 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2066 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2067/5 रकबा 14 बीघा 16 बीस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-3 कुल रकबा 87 बीघा 11 बिस्वा में वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में कब्जा काश्त करने, रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के प्रति0 को रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-...मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	07	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner